>

Title: Need to expedite the tender procedure and to ensure the re-laying of pucca road between Salem Steel Plant and Cauvery riverbed.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you Chairman Sir for giving me this opportunity to raise an important public issue.

The Headquarters of my constituency is Salem City. It is also called as Steel City because of the presence of Salem Steel Plant there. The Plant was inaugurated by our late Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. To meet the water requirement of the Plant, a pipeline was laid from the Cauvery riverbed at Poolampatty to the Plant covering a distance of nearly 30 kilometres. To maintain the pipeline running through the stretch, a *pucca* road was laid which was also used as a thoroughfare for the local public in and around the area. The road was laid in the 1970s. Due to efflux of time, the condition of the road had become so bad with more potholes and it became unusable.

As an MP, I took up the issue with the then Minister of Steel, Shri Virbhadra Singh. He not only promised to look into the request but also issued orders for re-laying the entire road in three phases. Nearly three years have passed since the order was issued but the road work could not be taken up due to lack of adequate number of bidding to the tender notice. Hence, the re-laying of the road work remains unfulfilled. As the re-laying of the Poolampatty-Salem Steel Plant road work is very, very important for both the Plant and also the road users in and around the villages, I humbly request the hon. Minister of Steel, through you, Mr. Chairman, to expedite the tender procedure and to ensure that the re-laying work is taken up and completed without any further delay.

*t 49

Title: Regarding amendment in Food Security and standards Act in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा रैगुलेशन 2011 में आंशिक संशोधन की आवश्यकता है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली के तहत खाद्य व्यापारी को 15 अगस्त, 2012 तक लाईसेंस निबन्धन कराना है। सम्बन्धित कानून को भारत सरकार द्वारा अंगीकार किया गया है, जिसे देश के राज्यों को लागू करना है, परन्तु इस कानून में विसंगतियां हैं, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। कानून को लागू करने की तारीख को राज्य के व्यापारियों की मांग पर 6 महीने के लिए विस्तार करना श्रेयस्कर होगा।

वर्तमान में उक्त अधिनियम के तहत शुल्क अदा करने के दृष्टिकोण से सिर्फ 12 लाख तक रजिस्ट्रेशन तथा 12 लाख से ऊपर को निबन्धन में बांटा गया है। इस शुल्क को कम से कम 6 खण्डों में विभाजित किया जाना चाहिए।

खाद्य पदार्थों, अनाज एवं फलों में कीटनाशक एवं अन्य रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाने से जन स्वास्थ्य बेहतर होगा, जिसके लिए मैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।

अन्त में मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि झारखण्ड के खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आंशिक संशोधन किया जाये।

*t50

Title: Need to implement pension schemes for Old Age Widows and handicapped person.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने के लिए परमीशन और समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिआ अदा करता हूं।

आप सभी जानते हैं पूरे देश में जो ओल्ड ऐज के बुजुर्ग लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं और जो हमारी विधवा बहने हैं, इन तीनों को मैं देख रहा हूं कि ये मुसीबत में हैं। आप जानते हैं कि ओल्ड ऐज पेंशन, विडो पेंशन और इसके साथ ही हैंडीकैप्ड पेंशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं। लोगों को फार्म भरे हुए पांच साल हो चुके हैं, लेकिन कोई सिंगल केस भी मेरी स्टेट में किसी का सैंक्शन नहीं हुआ। वह कहते हैं कि पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा, तब हम इनकी पेंशन शुरू करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बुजुर्ग आदमी जब जवान होता है, तो जवानी के दिनों में चाहे मजदूर हो या किसान हो, अपनी मेहनत से रोजी-रोटी कमा लेता है। जो इंप्लाई होता है, जब वह नौकरी से रिटायर होता है, तब उसे पेंशन मिलती है। लेकिन जब वह बुजुर्ग बनता है, गरीब आदमी, जो मजदूर होता है, जब उसकी बारी आती है, तो उसे कोई पेंशन नहीं मिलती है, कोई रोजी-रोटी का इंतजाम नहीं होता है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई बार नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई भी बुजुर्ग हो, कोई विडो हो, कोई हैंडीकैप हो, देश के हर नागरिक के लिए बीपीएल या किसी किस्म की बार नहीं होनी चाहिए। जो पेंशन लेना चाहता है, उसे पेंशन मिले। बुजुर्गों की बहुत बुरी हालत है। उनके बच्चे उन्हें पूछते तक नहीं हैं, इसलिए बुजुर्ग तरस रहे हैं। इसलिए मेरी जनाब से रिक्वैस्ट है कि इस चीज को गवर्नमेंट नोटिस करे और इनके लिए ख्याल करे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :

*m02

Shri Virendra Kumar is allowed to associate with the matter raised by Chaudhary Lal Singh.

*t51

Title: Issue regarding air pollution in Sidhi Parliamentary Constituency.

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): माननीय सभापति जी, हमारे संसदीय क्षेत्र सीधी में सिंगरौली जिला आता है। यहां कोयले की 10-12 खदानें हैं और करीब दस हजार मेगावॉट बिजली के ताप विद्युत संयत्र हैं। करीब दस हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन के लिए वहां संयत्र बन रहे हैं। वहां कोयला खदान की वजह से ब्लास्टिंग होती है, वहां धूल और कोयले का इतना वायु प्रदूषण है, जिसकी वजह से लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। वहां पानी खारा हो गया है और वायु प्रदूषित हो गयी है। विभिन्न तरीके की बीमारियां जैसे दमा, टीबी, किडनी फैल्योर लोगों को हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जहां एक हजार मेगावॉट तापीय विद्युत बनती है, उससे जो फ्लाई ऐश निकलता है, वहां साल भर में करीब पांच सौ किलो मर्करी का उत्सर्जन होता है। जहां दस हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है और दस हजार मेगावॉट का उत्पादन प्रस्तावित है, आप समझ सकते हैं कि वहां टनों मर्करी का उत्सर्जन हो रहा है। वहां गंभीर स्थिति है।

पिछले वर्षों में केंद्रीय सरकार ने सी.पी.सी.बी. के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वहां पर रोक लगा दी थी। लेकिन कतिपय किन कारणों से, वहां प्रदूषण रोकने के लिए उद्योगों पर जो रोक लगी थी कि नए उद्योग स्थापित नहीं हो सकते हैं, पुनः चालू कर दिया गया है। आज वहां परिस्थितियां बहुत दयनीय हैं। लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं, टीबी के मरीज बन चुके हैं, किडनी और विभिन्न प्रकार बीमारियां वहां लोगों को हो रही हैं।

मैं आपके माध्यम से पर्यावरण वन मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वहां जो प्रदूषण निगरानी समिति है, कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से वहां वह एक समिति भेजे और जांच करा करके वहां प्रदूषण खत्म करने के लिए व्यवस्था करे, जिससे वहां का आम आदमी आपने जीवन को सुरक्षित कर सके।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.

19.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, December 14, 2012/Agrahayana 23, 1934 (Saka).

* Not recorded.

* Not recorded as ordered by the Chair.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.